1

अपर उपायुक्त का न्यायालय, सरायकेला–खरसावॉ।

आदेश फलक

आदेश पत्रक ता0 ....

जिला–सरायकेला–खरसावॉ

SAR **अपील वाद सं0– 10/2016–17**

केस का प्रकार – सत्यवीर दास वनाम अनिल माहली

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
14.11.2022	(see below)	

अभिलेख उपस्थापित। वादी सत्यवीर दास, पिता - स्व0 शंकर दास, ग्राम- रघुनाथपुर, थाना नीमडीह, जिला- सरायकेला- खरसावॉ द्वारा एस0ए0आर0 वाद सं0- 03/2015-16 में दिनांक- 13.08.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध एस0ए0आर0 अपील दायर किया है। इस वाद के विपक्षी (1) श्री अनिल माहली, पिता स्व0 उमा चरण माहली ग्राम- टेंगाडीह, पो0-चालियामा, थाना-नीमडीह, जिला- सरायकेला- खरसावॉ है।

वादग्रस्त भूमि का विवरण इस प्रकार है-

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	किस्म	रकवा
रघुनाथपुर	288	431	2146	गोड़ा एक	0.02 एकड़

वाद दाखिल हेतु स्वीकार कर उभय पक्षों को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख प्राप्त किया गया। उभय पक्षों द्वारा विभिन्न तिथियों को लिखित रूप से अपना पक्ष रखा गया है तथा लगातार तीन तिथि यथा- 17.08.2022, 02.09.2022 एवं 21.10.2022 को अन्य किसी प्रकार का पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया परंतु प्रथम पक्ष के द्वारा उपरोक्त लिखित पक्ष के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का पक्ष नहीं रखा गया। द्वितीय पक्ष के द्वारा दिनांक 21.10.2022 को अंतिम रूप से पक्ष रखा गया।

अपीलार्थी के द्वारा दिनांक-07.09.2016 को समर्पित अपील आवेदन में मुख्यतः निम्न विन्दुओं पर लिखित पक्ष रखे हैं -

1. अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी के पिता द्वारा वर्ष 1975 में दान में प्राप्त कर घर बनाकर रह रहे हैं।
2. अपीलार्थी के पिता के मृत्यु उपरांत अपीलार्थी के दोनों भाई तीन कमरा अतिरिक्त रूप से बनाये हैं एवं सरकारी बिजली का भुगतान करते हैं।
3. वादी का Adverse possession के आधार पर दावा बनता है।
4. निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नहीं है।

(12)

5. एस0ए0आर0 वाद के वादीगण के द्वारा 30 वर्षों के पश्चात वाद दायर किया गया है इसलिए पारित आदेश विधिसम्मत नहीं है। इसलिए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने हेतु अनुरोध है।
6. सुनवाई के क्रम में दिनांक 27.09.2016 को Intervenor के रूप में श्री अमूल्य माहली, पिता स्व0 उमा चरण माहली, ग्राम- मातकमडीह, पो0-चालियामा, थाना-नीमडीह, जिला- सरायकेला- खरसावाँ के द्वारा Intervenor आवेदन दिया गया जिसे स्वीकार किया गया। Intervenor के द्वारा मुख्यतः निम्न विन्दुओं पर पक्ष रखा गया है -

1. निम्न न्यायालय द्वारा एस0ए0आर0 वाद के वादी के पक्ष में भू वापसी हेतु आदेश पारित किये हैं।
2. इनके द्वारा निम्न न्यायालय में पक्षकार बनाने हेतु आवेदन दिया गया कि वादग्रस्त भूमि इनके दादाजी सोमा महली एवं अन्य भाई श्रीदास महली के नाम पर खतियानी भूमि है।
3. Intervenor के पिता उमाचरण माहली के मृत्यु उपरांत इनके तीन पुत्र - (1) अमूल्य माहली (2) अनिल माहली (3) पूरन माहली का वादग्रस्त भूमि पर समान रूप से हिस्सा है। इनके हिस्से में वादग्रस्त खेसरा में 07 डी0 भूमि होता है। अन्य दो भाई- अनिल माहली एवं पूरन माहली ने निबंधित दलील सं0-4274, दिनांक 22.08.2005 के माध्यम से अपने हिस्से की भूमि 16.5 डी0 भूमि बिक्री कर चूके हैं।
4. अपील वाद के प्रतिवादी के द्वारा निम्न न्यायालय में इन्हें बिना जानकारी देकर भू वापसी वाद दायर किये हैं।
5. आवेदक द्वारा निम्न न्यायालय में वादी के रूप में नाम सम्मिलित करने हेतु आवेदन दिया गया, जिसे निम्न न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया एवं इस हेतु सक्षम न्यायालय में जाने हेतु आदेशित किया गया। जबकि आवेदक का नाम वादी के रूप में आवश्यक रूप से होनी चाहिए।

अपील वाद के प्रतिवादी अनिल माहली ने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 03.02.2017 को मुख्यतः निम्न विन्दुओं पर लिखित पक्ष रखा गया है -

1. वर्तमान अपील वाद अधिनियम के अंतर्गत maintainable नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा एस0ए0आर0 वाद के वादी के पक्ष में पारित आदेश विधिसम्मत है।
2. अपील वाद के वादी के द्वारा CNT Act 1908 की धारा 71(ए) का उल्लंघन किया गया है।
3. अपील वाद के वादी का वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का दावा, स्वामित्व प्रमाणित नहीं होता है।
4. अपील वाद के वादी के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कभी दखल कब्जा नहीं रहा है।
5. वादग्रस्त भूमि सोमा माहली एवं सिदाम माहली के नाम पर खतियानी जमीन है जिनकी जाति माहली है, जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हैं ।
6. अपील वाद के अपीलार्थी के द्वारा वर्ष 1975 में वादग्रस्त भूमि क्रय किये जाने का दावा निराधार है।
7. भू वापसी वाद में खतियानी रैयत के सभी उत्तराधिकारी पक्षकार हों, यह आवश्यक नहीं है। खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी द्वारा लगातार वादग्रस्त भूमि का लगान भुगतान किया जाता है। इसलिए अपील वाद निरस्त करने

हेतु अनुरोध है।

अपील वाद के प्रतिवादी अनिल महली के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 04.06.2022 को निम्न विन्दुओं पर पुनः लिखित पक्ष रखा गया है-

1. यह अपील एस0ए0आर0 वाद सं0-03/15-16 में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है जिसमें प्रतिवादी अनिल माहली हैं।
2. वादग्रस्त भूमि हाल सर्वे खतियान में सोमा माहली के नाम पर दर्ज है।
3. अपीलार्थी के द्वारा 0.02 एकड़ भूमि गलत तरीके से कब्जा किया गया है।
4. अपीलार्थी द्वारा यह जमीन प्रतिवादी के पिता उमाचरण माहली से क्रय किया गया है । इससे संबंधित किसी प्रकार का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अनुसूचित जनजाति श्रेणी का भूमि गैर अनुसूचित जनजाति के द्वारा किस प्रकार से क्रय किया गया है।
5. अपीलार्थी श्री सत्यवीर दास द्वारा पक्का मकान का निर्माण किया जा रहा है।
6. अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का दावा स्वामित्व नहीं है इसलिए यह अपील निरस्त करने योग्य है।

निम्न न्यायालय द्वारा एस0ए0आर0 वाद सं0-03/2015-16 में दिनांक 13.08.2016 को मुख्यतः निम्न विन्दुओं पर आदेश पारित किया गया है-

1. प्रश्नगत भूमि अंचल नीमडीह के मौजा-रघुनाथपुर, थाना नं0-288, खाता नं0-431, प्लॉट नं0-2146 कुल खतियानी रकवा-0.23 एकड़ में से वादग्रस्त 0.02 एकड़ है, भूमि विगत सर्वे खतियान के अनुसार सोमा महली तथा सिदास महली, पिता- दुर्गा महली अंश समान, जाति महली के नाम पर दर्ज है। भूमि का किस्म गोड़ा एक दर्ज है।
2. भूमि अनुसूचित जनजाति के नाम खतियान में दर्ज रैयती भूमि है। जिसपर गैर जनजाति व्यक्ति के द्वारा दखल किया गया है।
3. विपक्षी के द्वारा प्रस्तुत दावा में रैयत से 1975 में क्रय करने का जिक्र है। सादा कागज पर घरेलु लिखा-पढ़ी 03.04.1990 को 1 1/2 डी0 जमीन हस्तांतरण का सम्पादित प्रस्तुत कागजात से वादग्रस्त भूमि हस्तांतरण की सत्यता और दावा की अवधि साबित करने में असफल रहे।
4. हस्तक्षेपक अमूल्य महली के दावा से प्रतीत होता है कि वादी अनिल महली के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी है जो खतियानी रैयत के वंशज है और वे आवेदक के साथ दावा प्रस्तुत के समय शामिल नहीं है, उन्हें शामिल करना चाहिए था। जहाँ तक हस्तक्षेपक का आरोप है कि आवेदक अनिल महली अपना अंश पहले विक्रय कर चुके है तथा वादग्रस्त भूमि हस्तक्षेपक का होने का दावा किये हैं। इस संबंध में कहना है कि पैतृक रैयती भूमि का उत्तराधिकारी के बीच अंश का निर्धारण, बंटवारा, विक्रय की वैधता आदि के संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता है। वर्तमान वाद में अनुसूचित जनजाति की भूमि का अवैध हस्तांतरण या अवैध दखल से वापसी पर कार्रवाई करने का मामला है।
5. अंचल अधिकारी, नीमडीह के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक अनिल महली, पिता- उमाचरण महली खतियानी रैयत सोमा महली का पौत्र है। प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादी का मकान है तथा परिवार के साथ सन् 1990 से निवास करता है।
6. माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची ने वाद सं0- WP(C) No-3342/2003 मो0 मुस्तफा अली वनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य के आदेश की कंडिका 5(V) में कहा है कि - " Matter can be deciede on the

point of fact that whether the land in question is a chapparbandi land or is a raiyati land as on date of transfer or as on date of alleged valid sale ".

अतएव उभय पक्षों द्वारा रखे गये लिखित पक्ष एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत निम्न विन्दु स्पष्ट होते हैं-

1. हाल सर्वे वर्ष 1964 खतियान में मौजा-रघुनाथपुर, थाना सं0-288, खाता सं0-431, अंतर्गत भूमि सोमा महली तथा सीदास महली, पिता दुर्गा महली अंश समान जाति-महली, निवासी-निज ग्राम दर्ज है। वादग्रस्त भूमि का खेसरा सं0-2146, किस्म- गोड़ा एक, रकवा-0.23 एकड़ है।
2. वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जनजाति की है, जबकि विपक्षी गैर अनुसूचित जनजाति की है। विवादी भूमि क्रय करने के उपायुक्त से पूर्वानुमति नहीं ली गई है। अतः वादग्रस्त भूमि की खरीद-बिक्री में धारा-46 सी0एन0टी0 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।
3. अपीलार्थी के द्वारा वर्ष 1975 से वादग्रस्त भूमि पर दखल एवं क्रय किये जाने संबंधित किसी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाना प्रमाणित करता है कि अपीलार्थी के द्वारा गलत ढंग से भूमि क्रय किये जाने का दावा किया जा रहा है एवं मकान निर्मित कर दखल किया गया है।
4. Intervenor श्री अमूल्य माहली, पिता स्व0 उमा चरण माहली, ग्राम-मातकमडीह, पो0-चालियामा, थाना-नीमडीह, जिला- सरायकेला- खरसावाँ के द्वारा अपील वाद के प्रतिवादी के साथ दावा प्रस्तुतीकरण में सदस्य के रूप में नाम शामिल किये जाने का अनुरोध है। जबकि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाते की खतियानी भूमि है जिसमें उत्तराधिकारी के बीच आपसी बंटवारा, विक्रय की बैधता आदि के संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता है। वर्तमान में यह मामला मात्र भू वापसी से संबंधित मामला है। इसलिए Intervenor सक्षम न्यायालय में अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

अतएव उक्त के आलोक में अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है एवं निम्न न्यायालय द्वारा एस0ए0आर0 वाद सं0-03/15-16 में दिनांक-13.08.2016 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है। विधि व्यवस्था एवं अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण आज दिनांक 14.11.2022 को आदेश पारित किया गया। आदेश की प्रति अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुमण्डल दण्डाधिकारी,चाण्डिल एवं अंचल अधिकारी, नीमडीह को भेजें।

लेखापित

अपर उपायुक्त
सरायकेला-खरसावाँ ।

14/11/22
अपर उपायुक्त
सरायकेला-खरसावाँ।

Digitally signed by SUBODH KUMAR
Date: 2023.02.13 14:57:33 +05:30
Location: 192.168.43.213